न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 22/2018

1– ओम प्रकाश पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी नारायणपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री राजेन्द्र कुमार माथुर व लालसिंह गोदारा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील बनाराजगी निर्णय तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज0 पीठासीन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा तहसीलदार मिसल संख्या 82/17 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 12.03.2018 बअनुवान सरकार बनाम ओम प्रकाश

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांकः 05.03.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण सं0 82/2017 बअनुवान पटवारी हल्का नारायणपुरा बनाम ओम प्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2017 के विरूद्ध पेश की है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारायणपुरा ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कुचामनसिटी को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम नारायणपुरा के खसरा नम्बर 84 रकबा 11.05 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 पहाड़ भूमि में से रकबा 0.0182 हैक्टेयर भूमि पर सवंत 2074 में बाड़ लगाकर व पक्का कमरा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस स्वंय से तामील होकर प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा नारायणपुरा के खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0182 हैक्टेयर किस्म गैर मु0 पहाड़ भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रैणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा नारायणपुरा के खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0182 हैक्टेयर गैर मुमकिन पहाड़ से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 6/– अक्षरे छः रूपये कायम किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 21.03.18 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 21.03.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस को दिनांक 9.02.2021 को प्राप्त हुई।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कानूनी प्रकिया की पूर्णतः अवहेलना की है, केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट मात्र पर पुरा प्रकरण निर्णित कर दिया, जब प्रथम पेशी अपीलार्थी की तामील ही नहीं हुई थी, फिर भी अपीलार्थी ने दिनांक 16.02.2018 को न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। तुरन्त ही अगली पेशी दिनांक 26.02.2018 पर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया । तब विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के लिए विधिक रूप से यह आवश्यक था कि वह पटवारी व सक्षम राजस्व कर्मचारियों के प्रकरण में बयान लेते तो अपीलार्थी पक्ष को अपनी जिरह का अवसर मिलता। जिससे सारी स्थिति स्पष्ट होती । हस्तगत प्रकरण में न

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

तो किसी पक्ष के कोई बयान हुये है, न दस्तावेजी साक्ष्य को विधिवत रूप से साबित कराया है। इसके विपरित आनन फानन में ही दिनांक 12.03.2018 को उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर भारी भूल की है। जो आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि पटवारी ने मौके पर किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की है। केवल कार्यालय में बैठे बैठे खसरा नम्बर 84 का नक्शा बना दिया। इस नक्शे में कहीं कोई नाप तक अंकित नहीं है। यह भी विदित रहे कि खसरा नं0 84 पर सैकड़ों वर्षो व पिढियों से सैकड़ों लोगों के मकानात बने हुये है, बाड़े है, मवेशी बांधने के स्थान है। यहॉ तक की कई सरकारी

विभाग के भवन इसी खसरा नम्बर पर बने हुये है। ग्राम नारायणपुरा का गढ भी खसरा नम्बर 84 का ही भाग है। जब अपीलार्थी अप्रार्थी का कदीम से लगातार सैंकड़ों वर्षो से बेरोकटोक कब्जा है, तब धारा 91 के प्रावधान प्रथम तो लागू नहीं होते है, फिर माननीय राज0 उच्च न्यायालय आदि द्वारा जो विधिक व्यवस्था दी है, उससे ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से मयाद बाहर है। विदित रहे कि अप्रार्थी/अपीलार्थी का उक्त वादित भू–भाग पर पुराना कब्जा है, इस संबंध में दिनांक 26.01.2001 को ग्रामवासियों की मिटिंग में भी यह स्थिति सामने आयी हुई है, जिसका लेख पत्र भी तैयार किया हुआ है, जबकि पटवारी ने मात्र 2074 के वर्ष की रिपोर्ट गलत रूप से बतायी है। पटवारी का यह दायित्व था कि वह चुनौतीग्रस्त स्थान व अन्य आस पास के समस्त मकानों बाड़ों सरकारी भवनों आदि की पुरी जाचॅ करके रिपोर्ट प्रस्तुत करता केवल फौरी तौर पर ऐसा नोटिस जारी कर बिना साक्ष्य के सिद्धान्तो की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने जो नोटिस जारी किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतः अपीलार्थी ने अन्त में यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय को पूर्णतया अपास्त करने का आदेश प्रदान करावें।

{4} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का नारायणपुरा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम नारायणपुरा , के खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0182 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 पहाड़ पर बाड़ लगाकर एव पक्का कमरा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी का नोटिस स्वंम से तामील होकर प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 पहाड़ की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है, तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी ने यह कथन किया है कि उसका नोटिस तामील ही नहीं हुआ है तथा बिना नोटिस तामील के तथा ना ही बिना साक्ष्य सबूत के निर्णय कर दिया है, तथा उसका उक्त मुतनाजा भूमि पर काफी पुराना कब्जा है, तो अपीलान्ट का कहना कतई सही नहीं है यह उसका झुठा कथन किया है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा अपीलार्थी स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है। जिस भूमि पर अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मकान बनाया हुआ है वह भूमि गै0मु0 पहाड़ राजकीय भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने व सुनवाई का समुचित अवसर किया गया निर्णय विधि सम्मत है इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: आदेश ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.03.2018 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)